न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी – चन्द्रशेखर भण्डारी आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या – 85/2017 वाद
दायर दिनांक – 13/10/2017
निर्णय दिनांक – 29/08/2019

अनवान

1 नारायण पिता किशना कुमावत निवासी मदारा तह0 रेलमगरा

वादी

बनाम

1. लेहरू पिता चम्पा कुमावत निवासी मदारा तहसील रेलमगरा
2. भगवान उर्फ भग्गा पिता लेहरू कुमावत निवासी मदारा तहसील रेलमगरा
3. सोहन पिता लेहरू कुमावत निवासी मदारा तहसील रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञप्ति

: : निर्णय : :

वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञप्ति आर. टी. ए. के तहत प्रस्तुत किया कि वादी के स्वामित्व आधिपत्य खातेदारी की भुमि गांव मदारा तहसील रेलमगरा जिसके आराजी नम्बर 1216/147 रकबा 00–15 बीघा स्थित है। प्रमाण में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी व नक्शाट्रेस प्रस्तुत है उक्त भूमि के पडोस निम्नलिखित है पूर्व में वादी का खेत पश्चिम में खेतो पर जाने का रास्ता उत्तर में शंकर पिता मोडा जी कुमावत का खेत दक्षिण में वादी का खेत उक्त वादग्रस्त भूमि वादी एवं उसके सगे बडे भाई सुरजमल के राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है लेकिन दोनों भाईयों के आपसी मौखिक बंटवारा अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि वादी के हिस्से में आने से वर्षो से वादी ही काबिज काश्त होकर उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहा है। वादी का सगा बडा भाई सुरजमल काफी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वृद्ध व्यक्ति है जिसको आंखो से भी कम दिखता है जिससे वह केवल घर पर ही विश्राम करता है। आज इस वक्त भी उक्त सम्पुर्ण वादग्रस्त भुमि में वादी द्वारा काश्त करने में उसके बडे भाई सुरजमल को कोई एतराज व आपत्ति नहीं है। जिससे उक्त सम्पुर्ण वादग्रस्त भूमि पर वर्षो से आज दिन तक केवल मात्र वादी की काबिज काश्त है वादी ने उक्त वादग्रस्त भूमि में अभी खरीफ की फसल में कपास की फसल बो रखी है जो करीब एक से डेढ फीट तक मोटी है। वादी शुरू से ही अपने खातेदारी स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त भूमि में काश्त करता आ रहा है। अभी खरीफ की फसल कपास की भी बुवाई कर पिलाई कर निराई गुडाई कर कपास की फसल को बडा किया जो इस वक्त करीब एक से डेढ फीट तक मोटी है। प्रतिवादी संख्या 01 पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 उसके लडके है। इस प्रकार तीनों ही प्रतिवादीगण जो कि पिता पुत्र है। वादी से भारी ईर्ष्या व वेमनश्य रखते है इसलिये प्रतिवादीगण बदयान्ति से वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि को जबरन हडपना चाहते है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य फोजदारी मुकदमे चल रहे है। जिसकी अभी थाना रेलमगरा में तफतीश चल रही है। प्रविवादीगण इस अदावट की वजह से उक्त वादग्ररत भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमदा है अभी करीब दस दिन पहले भी प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि पर आये उस वक्त वादी वादग्ररत भूमि में खडी कपास की फसल की खुदाई कर रहा था। प्रतिवादीगण ने आते ही वादी को जाने से खत्म करने की धमकियां दी व कहा कि कपास की फसल सहित उक्त भुमि पर जबरन कब्जा करेंगे। प्रतिवादीगण अत्यन्त ही खुखार प्रकृति के व्यक्ति है। जिन्होने कानुन को अपने हाथ में ले रखा है तथा वादी को वादग्रस्त भुमि से बेदखल कर जबरन कब्जा हडपने पर आमदा है। जबकी वर्षो से आज दिन तक .कब्जा वादी का हैं। तथा वादी ही उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि तन्हा रूप से वादी की स्वामित्व तथा आधिपत्य की है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व दखल नहीं है। प्रतिवादीगण को केवल मात्र अपनी ताकत के बल पर जबरन कब्जा करने पर आमदा है। वादी को अब पूर्ण रूपेण

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

भय उत्पन्न हो गया है कि प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर वादी को उक्त भूमि से बेदखल कर देंगे। इसलिऐ प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा रोका जाना नितान्त आवश्यक व न्यायसंगत है। यदि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा वादग्रस्त भूमि के शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग में बाधा या हस्तक्षेप करने से नहीं रोका जायेगा तो प्रतिवादीगण वादी से उक्त भूमि का कब्जा जबरन हडप लेंगे, वादी को बेदखल कर देंगे जिससे वादी को अपार क्षंति हो जायेगी जिसकी क्षतिपुर्ति का मुल्याकंन नकदी में किसी भी कदर सम्भव नहीं हो सकेगा तथा भविष्य में मुकदमेबाजी बढने की सम्भावना हो जायेगी। उपरोक्त कारणों से वादी के लिए उक्त स्थाई निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञप्ति का वाद लाना अत्यन्त आवश्यक हो गया। यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादी से उक्त भुमि का जबरन कब्जा छीन लेंगे तो वादी को पुनः प्रतिवादीगण से उक्त भुमि का कब्जा दिलाया जावें। वादी के कहने पर गांव के लोगो ने भी प्रतिवादीगण को समझाने का प्रयास किया लेकिन प्रतिवादीगण नही माने जबकि वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बंध नहीं है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का हक, दखल नहीं है। प्रतिवादीगण ने जबरन कानुन को अपने हाथ में ले रखा है, गांव के लोगो के सामने भी प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि का जबरन कब्जा छीनने की धमकियां दी व जान से खत्म करने की धमकियां दी। प्रतिवादीगण मरने मारने पर आमदा है। प्रतिवादीगण ने भारी आतंक फैला रखा है प्रतिवादीगण को कानुन का भी कोई भय नहीं है।वादी का यह प्राईमाफेसी केस होकर सुविधा संतुलन भी वादी के पक्ष में है यदि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा वादी से उक्त भूमि के शांतिपुर्ण उपयोग उपभोग में बाधा या हस्तक्षेप करने से जबरन कब्जा हडपने व वादी को बेदखल की धमकियां देने से नही रोका जायेगा तो प्रतिवादीगण उक्त भुमि पर ताकत के बल पर वादी से कब्जा छिन लेंगे। जिससे वादी को अपार क्षति हो जायेगी जिसकी क्षतिपुर्ति का मुल्याकंन नकदी में किसी भी तरह से सम्भव नहीं हो सकेगा तथा भविष्य में व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढने की सम्भावना हो जायेगी। वाद

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

हेतुक अभी दिनांक 15/08/2017 को जबकि प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि का जबरन कब्जा छिनने की धमकिया दी व उसके पश्चात भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बराबर धमकियां देते रहने से निरन्तर जारी होकर गांव मदारा उत्पन्न हुआ। अतः वादी की प्रार्थना है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञप्ति जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादी के उक्त भूमि के शांति पूर्वक उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा या हस्तक्षेप नही करे, जबरन कब्जा नहीं छिने व जबरन कब्जा छिनने की धमकिया भी नहीं देवे। उक्त कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं ही करे तथा न ही उक्त कार्य अपने नौकर, चाकर एवं एजेण्ट मित्र, आदि से ही करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी ने अपने वाद पत्र के समथ में गवाह पी0डब्ल्यू0–01 नारायण लाल का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–01, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02 के प्रस्तुत की गयी।

वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में वादी गवाह एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपने वाद को सिद्व करने में सफल रहा है।

अतः वादी का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञप्ति स्वीकार किया जाकर ग्राम मदारा के आराजी नम्बर 1216/147 रकबा 00–15 बीघा का रेकार्ड में बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञप्ति जारी कि जाती है कि प्रतिवादीगण वादी की उक्त भूमि के शांति पूर्वक उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा या हस्तक्षेप कारित नही करे, जबरन कब्जा नहीं

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

करे। उक्त कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं ही करे तथा न ही उक्त कार्य अपने नौकर, चाकर एवं एजेण्ट मित्र, आदि से ही करावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

29/8/19

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा